पत्रांक—1 / क0 1—11 / 2026— 26 /

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 12/05/2026

विषय:— वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 59 एवं 62 दिनांक 24.04.2026 तथा 68 दिनांक 28.04.2026 तथा 71 एवं 78 दिनांक 30.04.2026 के आलोक में क्रमशः दिनांक 29.01.2026 से 01.02.2026 तक पटना में इन्द्रधनुष कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के पटना युवा आवास में आवसन व्यवस्था के निमित्त ₹ 54,000/—मात्र, दिनांक 03.01.2026 को प्रेमचंद रंगशाला, पटना में अटल काव्यांजलि के आयोजन के निमित्त ₹ 5,00,000/—मात्र, दिनांक 27.02.2026 को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र (बजट सत्र) के समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम (वसंतोत्सव) में प्रस्तुति के निमित्त कलाकार/उदघोषक को मानदेय भुगतान हेतु ₹ 3,00,000/—मात्र, दिनांक 26.02.2026 से 02.03.2026 तक गाँधी मैदान, पटना में बिहार इंडस्ट्री एसोशिएशन द्वारा आयोजित डेस्टीनेशन बिहार एक्सपो 2026 में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के निमित्त ₹ 1,40,000/—मात्र एवं PMCH, Patna के वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव प्रतिबिम्ब— WAVES' 26 के आयोजन के निमित्त ₹ 1,00,000/—मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026—27 में मांग संख्या—08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 2205—कला एवं संस्कृति—102—कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन—0101—कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड 08—2205001020101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2002—कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में तत्काल कुल राशि ₹ 10,94,000/—(दस लाख चौरानबे हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:—

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
2002—कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	₹ 27,77,271	₹ 10,94,000	₹ 38,71,271
योग—	₹ 27,77,271	₹ 10,94,000	₹ 38,71,271

तत्काल आवंटित राशि ₹ 10,94,000/—(दस लाख चौरानबे हजार रूपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 33 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0—12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
12/05/26

(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 26 /

पटना, दिनांक 12/05/2026

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 26 /

पटना, दिनांक 12/05/2026

प्रतिलिपि :— सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/26

सरकार के संयुक्त सचिव।